न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 16 आर 15/06–07

रामकन्हाई सिह मुण्डा अपीलकर्ता

बनाम

शंकर सिह वगैरह प्रतिवादी

आदेश

42

8.11.2008 यह अपील आर एम वाद संख्या 9/04–05 में अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू द्वारा दिनांक 10.11.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु अपीलकर्ता द्वारा दायर धारा 242 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
रेलाडीह	104	595	1.53 एकड़
		615	3.48 ,,

अपील आवेदन में कहा गया है कि खाता संख्या 104 खेवट नं0 3 के अंतर्गत दर्ज है जो कि मुण्डारी खुटकट्टी है। खेवट नं0 3 गंधर्व सिह मुण्डा के नाम से दर्ज है। उनकी मृत्यु के बाद अपीलकर्ता के पिता मानकी व्रजकिशोर सिह मुण्डा ग्राम रेलाडीह के मानकी एवं खुटकट्टीदार हुए। मानकी व्रजकिशोर सिह मुण्डा की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र की पत्नी मोस्मात दक्ष्यबाला मानकीयाईन खेवटदार हुई जिसका नाम इलाकादारी पंजी में दर्ज हुआ। दक्ष्यबाला की निःसंतान मृत्यु हो गयी एवं स्व0 व्रज किशोर सिह मुण्डा के द्वितीय पुत्र होने के कारण वर्तमान अपीलकर्ता खुटकट्टीदार बने। अंचल कार्यालय में उनका नाम दर्ज हुआ एवं ग्राम रेलाडीह का लगान तथा सेस भूगतान करने लगे। अपील आवेदन में बताया गया है कि खाता संख्या 104 खतियान में लालु मुण्डारी वो छोटु मुण्डारी पिता रमण मुण्डारी वो बलराम मुण्डारी पिता पदुबारी मुण्डारी के नाम दर्ज है। खतियानी रैयतों के नाबल्द होने के कारण खाता संख्या 104 की सम्पूर्ण जमीन खेवटदार व्रजकिशोर सिह मुण्डा के दखल में आयी। वर्तमान अपीलकर्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के न्यायालय में विवादित जमीन की वापसी

हेतु प्रतिवादियों के विरुद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 242 के अंतर्गत वाद दायर किया। उसमें प्रतिवादी ने जवाब दाखिल किया कि वे जगदीश सिह मुण्डा से प्राप्त सादा हुक्मनामा के आधार पर दो बर्षों से विवादित जमीन पर दखलकार हैं। परन्तु निम्न न्यायालय ने सम्पुर्ण तथ्यों की छानबीन किये बिना ही वाद को खारिज कर दिया। निम्न न्यायालय द्वारा विवादित जमीन की प्रकृति को नहीं समझा गया तथा खतियानी रैयत की नाबल्द मृत्यु की स्थिति में खेवटदार को प्राप्त अधिकार का भी विवेचन नहीं किया गया। निम्न न्यायालय ने धारा 242 के प्रावधानों से अलग वाद का निर्णय दिया जिसका क्षेत्राधिकार उसे नहीं था। एक अन्य व्यक्ति कृटिभूषण सिह मुण्डा द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता के खुटकट्टीदार होने पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया था जिसे नामांतरण पुनरीक्षण वाद संख्या 2/95–96 टी आर 28/96–97 में उपायुक्त रॉची द्वारा दिनांक 28.2.1997 को अस्वीकृत करते हुए उसे सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश दिया गया। परन्तु उसने किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया। अपीलकर्ता को राजस्व कागजातों में खेवटदार के रुप में मान्यता प्राप्त है। अतः किसी दुसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी को सादा हुक्मनामा से किया गया बंदोबस्ती गलत है। मुण्डारी खुटकट्टीदार को जमींदार की तरह जमीन बंदोबस्त करने का अधिकार भी नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों का ही उल्लेख किया एवं यह भी बताया कि निम्न न्यायालय के आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रतिवादी को जमीन कैसे प्राप्त हुआ। निम्न न्यायालय के आदेश में विवादित जमीन के खाता खेसरा रकबा का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन मुण्डारी खुटकट्टी के अंतर्गत नहीं है। यह खतियान में लालु मुण्डा वगैरह के नाम कायमी दर्ज है। खतियान में मुण्डारी खुटकट्टी दर्ज नही रहने के कारण धारा 242 के प्रावधान लागू नहीं होंगें। खतियानी रैयतों की निःसंतान मृत्यु होने के कारण विवादित जमीन खेवटदार द्वारा अपने अधिकार एवं दखल में लिया गया। मुण्डारी खुटकट्टीदार जगदीश सिह मुण्डा थे। अपीलकर्ता मुण्डारी खुटकट्टीदार के खरपोशदार हैं। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि सेस की राशि सरकार को भुगतान करने से सम्बन्धित एक मामला विविध वाद संख्या 216 आर 15/02–03 उपायुक्त न्यायालय में विचाराधीन है जो कि जगदीश सिह मुण्डा द्वारा दायर किया गया है।

इस मामले में जगदीश सिह मुण्डा द्वारा हस्तक्षेपक बनने हेतु आवेदन दिया गया था जिसे दिनांक 2.5.2008 को अस्वीकृत किया गया। उनके अधिवक्ता ने बताया कि उक्त आदेश के विरुद्ध उन्होने आयुक्त न्यायालय में अपील दायर किया है। परन्तु वे स्थगनादेश प्रस्तुत करने में विफल रहे जबकि इसके लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

इस वाद में उपलब्ध तथ्यों, कागजातों और बहस के आलोक में निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि को 'खुटकट्टी' मानते हैं जबकि द्वितीय पक्ष उस भूमि को रैयती मानते हैं क्योंकि खतियान मे 'खुटकट्टी मुण्डारी' दर्ज नहीं है।

अपीलकर्ता का कहना है कि खतियान में रेलाडीह का खाता संख्या 104 लालु मुण्डारी और छोटु मुण्डारी के नाम दर्ज था लेकिन खतियानी रैयतों के नाबल्द मर जाने के कारण खाता 104 की सभी जमीन खेवट नं0 3 के खेवटदार व्रज किशोर सिह मुण्डा के अधीन चली गयी। वर्तमान अपीलकर्ता कन्हाई सिह मुण्डा उनके पुत्र हैं और उनके नाम से सरकारी रशीद कटती है।

प्रतिवादी पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि खाता 104 के लालु मुण्डा और छोटु मुण्डा पिता रमण मुण्डा के नाम खतियान मे दर्ज है। खतियान में वजरिए रजिस्ट्री 18.2.1922 भी दर्ज है। उनका मत है कि खतियान में ''मुण्डारी खुटकट्टी'' दर्ज नहीं रहने के कारण इस मामले में सी. एन. टी. एक्ट की धारा 241 लागू नहीं होगी।

वाद की सुनवाई के दौरान यह भी तथ्य सामने आया है कि उपायुक्त, रॉची के न्यायालय में तकरारी भूमि के 'सेस' भुगतान करने से सम्बन्धित एक विविध वाद संख्या 216 आर 15/02–03 विचाराधीन है। इससे यह स्पष्ट है कि भूमि की प्रकृति के निर्णय का मामला उपायुक्त के न्यायालय में लम्बित है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले में गुण–दोष के आधार पर अन्तिम निर्णय देना उचित नहीं है। उपायुक्त, रॉची के न्यायालय द्वारा विविध वाद संख्या 216 आर 15/02–03 में आदेश के पश्चात असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस निरुपण के साथ इस वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है।

दिनांकः– 8.11.2008 लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
अपर समाहर्ता,
रॉची।